न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 331/2024
अनवान : –

1. सुन्दर पत्नी कुरडाराम जाति सुथार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. सीता राम पुत्र कुरड़ा राम जाति जाति सुथार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. अलीशेर पुत्र रमजानखां जाति मुसलमान निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।
3. असकर पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
5. कान्ता पत्नी ओम प्रकाश जाति सुथार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. कोयल पत्नी महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. चेतराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. दलवीर पुत्र नूरेदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. पुष्पा पत्नी जय प्रकाश जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. बुधराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मीरा पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
12. रतिराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. राजेन्द्र कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
14. रोशनदीन पुत्र कासुखां जाति मुसलमान निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
15. विमला पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
16. शकुन्तला पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
17. सन्तकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
18. सुभाष चन्द्र खाती पुत्र बीरबल राम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
19. समुन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
20. हरीसिंह पुत्रा लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 23/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 132/143 के खसरा नं. 135, 79 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 14.7840 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज ... रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण ... खाता की भूमि है भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादीगण व प्रतिवादीगण में खाता, ...व व लगान से सम्ब... हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहता है।

वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत करके व धन खर्च करके उपजाऊ व समतल बनाया हुआ है तथा अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते चला आ रहे है इसलिए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है। रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 132/143 के खसरा नं. 135, 79 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 14.7840 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 2977/59136 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 23/5376 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 7, 10, 12 प्रत्येक का 761/6160 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 89/4928 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 177/70400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4, 11, 13, 15, 20 प्रत्येक का 367/13440 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 23/1344 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 8 प्रत्येक का 223/147840 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 67723/1478400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 47/2464 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 575/7392 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17, 19 प्रत्येक का 1691/73920 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 115/1344 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 20 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 21 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया [illegible] पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्[illegible] सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 132/143 के खसरा नं. 135, 79 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 14.7840 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी उक्त वाद भूमि में से अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहता है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 132/143 के खसरा नं. 135, 79 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 14.7840 है0 भूमि के खसरा नं. 79 की 6.3360 है0 भूमि में से मिन मध्य की 0.74425 है0 वादी का संख्या 1 को व 0.6325 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा शेष हिस्सेदारों के नाम सहखातेदारी भूमि हिस्से अनुसार दर्ज रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 331 / 2024
अनवान : –

1. सुन्दर पत्नी कुरडाराम जाति सुथार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. सीता राम पुत्र कुरड़ा राम जाति जाति सुथार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. अलीशेर पुत्र रमजानखां जाति मुसलमान निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चुरू।
3. असकर पुत्र अमरदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
5. कान्ता पत्नी ओम प्रकाश जाति सुथार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
6. कोयल पत्नी महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. चेतराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. दलवीर पुत्र नूरेदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
9. पुष्पा पत्नी जय प्रकाश जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. बुधराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मीरा पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
12. रतिराम पुत्र मगनीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. राजेन्द्र कुमार पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
14. रोशनदीन पुत्र कासुखां जाति मुसलमान निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
15. विमला पुत्री लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
16. शकुन्तला पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
17. सन्तकुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
18. सुभाष चन्द्र खाती पुत्र बीरबल राम जाति खाती निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
19. समुन्द्रसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
20. हरीसिंह पुत्रा लाधूराम जाति जाट निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 331 सन 2024 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 132 / 143 के खसरा नं. 135, 79 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 14.7840 है0 भूमि के खसरा नं. 79 की 6.3360 है0 भूमि में से मिन मध्य की 0.74425 है0 वादी का संख्या 1 को व 0.6325 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा शेष हिस्सेदारों के नाम सहखातेदारी भूमि हिस्से अनुसार दर्ज रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.5.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर